पत्रावली वास्ते आदेशार्थ स्थगन प्रार्थना पत्र की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 29.1.2024 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने गैर कानूनी रूप से अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बिना प्रार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पाबंद कर दिया जिसकी आड़ में अप्रार्थी संख्या 01, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाली उत्पन्न करने एवं प्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयात से मिलने वाले सरकारी परिलाभों से वंचित करने पर आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21..09.2023 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

सर्वप्रथम अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया अपीलधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पीसांगन प्रकरण संख्या 62/2023 बउनवानी बनाम बाबूलाल बनाम चंपालाल दिनांक 21.9.2023 का है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 9.11.2023 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील अंदर मियाद है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपीलांट द्वारा बताया गया कि बिना प्रार्थी को सुने अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा गैर कानूनी रूप से दिया गया है जिस वजह से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदाजी उत्पन्न करने व प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी परिलाभों से वंचित करने पर अमादा है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी साथ ही सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया प्रकरण अपने पक्ष में बताया।

वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि रेस्पोडेंट द्वारा बटवारे के वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है। हम सहखातेदार है और 1/20 हिस्सा हमारा है बाहमी बंटवारा हो रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम स्टे दिया हुआ है कोर्ट नहीं लगने से हम जवाब पेश नहीं कर पाए निर्माण के झूठे कथन लेकर वो आए है।

बहस सुनी गई बहस बिंदुओं पर मनन किया गया। राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित निगरानी जगदीश बनाम भोपालराम आरबीजे (21)2014 पेज 204 में दिए गए गाईडलाइन का अवलोकन किया गया उक्त निर्णय के पैरा 78 में अपीलेट कोर्ट के लिए निर्देश दिए हुए है जिसके विंदु 2 के अनुसार-

The appellate courts have no jurisdiction to entertain appeals against such ad-interim ex- parte orders which are effective only till next date of hearing and have been passed under rule 3 and 3A of order 39 of the code or where there is no order of the trial court on the application of temporary injunction or appointment of receiver.

अपीलाधीन आदेश प्रकरण बाबूलाल बनाम चंपालाल वगैराह अंतर्गत 209 आरटी एक्ट प्रकरण संख्या 62/2023 उपखण्ड अधिकारी पीसांगन दिनांक 21.9.2023 का ऑपरेटिव अंश निम्नानुसार है— **"हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, वाद, दस्तावेज व शपथ पत्र का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। वादग्रस्त खसरे में प्रार्थी सहखातेदार दर्ज है व यदि निर्माण कार्य से मौके पर परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः ग्राम पिचौलिया तहसील पीसांगन में स्थित खसरा संख्या 1715 रकबा 0.33 है0 बाबत अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को पाबंद किया जाता है की आगामी तारीख पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाए रखे व निर्माण कार्य नहीं करावे। अप्रार्थीगण को स्टे के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड एडी भेजे जाकर पत्रावली वास्ते पावती इंतजार हेतु दिनांक 20.10.2023 को पेश हो।"**

15.2.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी

पन्नालाल बनाम बाबूलाल (2023/242)

क्रमशः..

अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है तथा उक्त आदेश आगामी तारीख पेशी तक के लिए दिया गया है। अपीलाधीन आदेश जगदीश बनाम भोपालाराम के प्रकरण में दिए गए न्यायिक दृष्टांत के पैरा 78 के बिंदु 2 के तहत दिए गए निर्देशों की जद में आता है जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे प्रकरण जिसमें अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश, आदेश 39 नियम 3, 3ए के तहत अगली सुनवाई तिथि तक दिया गया है उन मामलों में अपील को एन्टरटेन नहीं किया जाए।

अपीलाधीन प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी दिनांक 20.10.2023 तक ही दी गई थी, साथ ही अपीलांट द्वारा जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अपीलाधीन आदेश पर जगदीश बनाम भोपालाराम के प्रकरण में दिए गए न्यायिक दृष्टांत की व्यवस्था सही रूप से चस्पा होती है अतएव न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर तुरंत जवाब प्रस्तुंत कर बहस में भाग लेकर 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण करवाए। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी एक माह में अपीलाधीन पेडिंग प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर समुचित निर्णय प्रदान करे। अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

15.2.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर